रजिस्ट्री सं० डी- 222 REGISTERED No. D-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 32] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 5, 1972 (श्रावण 14, 1894)
No 32] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 5, 1972 (SRAVANA 14, 1894)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

नोटिस
(NOTICE)

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 24 जनवरी 1972 तक प्रकाशित किये गये हैं :—

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 24th January 1972 :—

अंक Issue No.	संख्या और तिथि No. and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject
1	2	3	4

शून्य
—NIL—

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी । मांग-पत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं ।

Copies of the *Gazettes Extraordinary* mentioned above will be supplied on indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

विषय-सूची

पृष्ठ

भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . . 815

भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . 1233

भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . —

भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . 1091

भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम . . . —

भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्ट . . —

भाग II—खंड 3—उपखंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सीमित हैं।) . 1943

भाग II—खंड 3—उपखंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं . . 2951

भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश . —

भाग III—खंड 1—महालेखा परीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं . 1051

भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस 227

भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं —

भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं . . . 1219

भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें . 149

पूरक संख्या 32—

29 जुलाई, 1972 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी संबंधी साप्ताहिक रिपोर्ट . 1493

8 जुलाई, 1972 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु सम्बन्धी आंकड़े . 1503

CONTENTS

PAGE

PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 815

PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 1233

PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence .. .. .. —

PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence 1091

PART II—SECTION 1.—Arts, Ordinances and Regulations .. .. —

PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills .. .. —

PART II—SECTION 3.—SUB.-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Govtrnment of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories). 1943

PAGE

PART II—SECTION 3.—SUB.SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) .. 2951

PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence .. —

PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India .. 1051

PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta .. 227

PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners .. .. .. —

PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies 1219

PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies .. 149

SUPPLEMENT No. 32

Weekly Epidemiological Reports for week-ending 29th July, 1972 143

Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week ending 8th July, 1972 1503

भाग I—खण्ड 1

(PART I—SECTION 1)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 जनवरी 1972

सं० 93-प्रेज़/72—राष्ट्रपति निम्नांकित व्यक्तियों को उनके द्वारा प्रदर्शित उत्कृष्ट वीरता के लिए "कीर्ति चक्र" प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन करते है :—

श्री हनुमंत सिंह,
गांव बूडाखेडा,
पुलिस स्टेशन अरुण,
जिला गूना,
मध्य प्रदेश।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—21 फरवरी 1969)

21 फरवरी 1969 की शाम को लगभग 7.30 बजे भूरा कडेरा डाकू तीन और डाकुओं के साथ ज़िला गूना के बूडाखेडा गांव में घुसा और वहां के ग्रामीणों में भय पैदा करने के लिए हवा में अन्धाधुंध गोलियां छोड़ने लगा। श्री हरनाथ सिंह के घर का कीमती सामान लूटकर वे श्री खूब सिंह रघुवंशी के घर में घुसे। गोली की आवाज़ सुनकर श्री हनुमंत सिंह 12 बोर की एक बन्दूक लेकर अपने घर से तेजी से निकले और एक मकान की छत पर जा चढ़े जहां से चांदनी रात में वे श्री खूब सिंह के घर को स्पष्ट देख सकते थे। छत पर खड़े एक डाकू ने श्री हनुमंत सिंह पर गोली चलाई। लेकिन श्री हनुमंत सिंह ने निर्भीकता से डाकुओं को ललकारा और जवाबी गोली चलाई। एक और डाकू ने भी गोली चलाई और उसके पश्चात् गिरोह के सभी डाकुओं ने भाग निकलने का प्रयत्न किया। श्री हनुमंत सिंह ने अन्य ग्रामीणों को साथ लेकर डाकुओं का पीछा किया जो कि भागते हुए भी गोलियां चला रहे थे। अगले दिन ग्रामीणों ने जय नारायण नामक एक डाकू को नाले में घायल पड़ा हुआ पाया और उसे पुलिस को सौंप दिया।

इस कार्यवाही में श्री हनुमंत सिंह ने उच्च-कोटि की वीरता और दृढ़-निश्चय का परिचय दिया।

2. श्री दौला,
जिला गूना,
मध्य प्रदेश।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—11 फरवरी 1970)

मध्य प्रदेश के मंगोली पुलिस थाने के अन्तर्गत डाकू गंगा राम का गिरोह काफी समय से सक्रिया था। इस गिरोह ने करेरा गांव में लूटमार और हत्या की थी। 11/12 फरवरी 1970 की रात्रि को यह गिरोह पुनः उस गांव में गया। डाकुओं ने इस बार श्री राजा राम लोधी को निशाना बना रखा था। श्री लोधी को जब यह सूचना मिली तो उन्होंने गांव में और चौकीदार श्री दौला को इसकी खबर दी। 6 ग्रामीणों के साथ श्री दौला प्रातः 3 बजे से 4 बजे के बीच मौके पर पहुंचे। अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की चिन्ता न करते हुए उन्होंने राजा राम लोधी के घर पर घेरा डाले डाकुओं को ललकारा और उन पर गोली चला दी। इस साहसिक कार्यवाही के कारण डाकू भाग खड़े हुए। गोलीबारी के दौरान श्री दौला ने एक डाकू को गोली से मार डाला और उसके पास से एक बन्दूक बरामद की।

इस कार्यवाही में श्री दौला ने उच्च-कोटि की वीरता, पहल-शक्ति तथा दृढ़-संकल्प का परिचय दिया।

3. फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट कुलदीप कुमार शर्मा, (7584) मैटिअरोलाजिकल।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—17 मई 1970)

17 मई 1970 को अग्रिम क्षेत्र में स्थित एक हवाई अड्डे में घास में भीषण आग लग गई थी। और वह बम भण्डार के आसपास काफी बड़े क्षेत्र में फल गई थी। फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट कुलदीप कुमार शर्मा दुर्घटना स्थल पर पहुंचने वाले प्रथम अधिकारी थे जिन्होंने आग बुझाने वाले दल का नेतृत्व किया। अग्निशमन दल के थोड़े से सदस्यों की सहायता से वे तब तक आग बुझाने के काम मे लगे रहे जब तक कि और व्यक्ति नहीं आ गए। हवा के कारण, बम भण्डार के अन्दर की घास, खाली करेटों और तीव्र विस्फोटक बमों को ढकने वाले तरपालों में आग लग गई। लेकिन फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट शर्मा अविचलित रूप से तब भी आग बुझाने का प्रयास करते रहे जब कि भण्डार में विस्फोट होना शुरू हो गया था।

इस सारी कार्यवाही के दौरान फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट कुलदीप कुमार शर्मा ने उत्कृष्ट वीरता और उच्च-कोटि के दृढ़-संकल्प का परिचय दिया।

4. 34629 फ्लाइट सार्जेंट भोज प्रकाश पुरी, ए० सी० एच०/जी० डी०

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—17 मई 1970)

17 मई 1970 को अग्रिम क्षेत्र में स्थित एक हवाई अड्डे पर मैकेनिकल ट्रांस्पोर्ट सेक्शन और बम भण्डार के आसपास घास के काफी बड़े क्षेत्र में भीषण आग लग गई थी। वहां से आग बम भण्डार और तीव्र विस्फोटिक बमों को ढके हुए तरपालों तथा बिल्डिंग के चारों ओर की घास में

फैल गई। फ्लाइट सार्जेंट भोज प्रकाश पुरी ने, फायर सेक्शन के सीनियर नान-कमीशंड अफसर-इन-चार्ज के रूप में बहुत शानदार कार्य किया। उन्होंने बड़े शांत और सुनियोजित रूप से आग बुझाने वाले दल का मार्ग दर्शन किया। अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए वे तब भी दुर्घटना स्थल पर डटे रहे जब कि कुछ भण्डार विस्फोटित होने लग गए थे।

इस पूरी कार्यवाही में फ्लाइट सार्जेंट भोज प्रकाश पुरी ने उत्कृष्ट वीरता, दृढ़-संकल्प और उच्च-कोटि की कर्त्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

5. श्री महेन्द्र नारायण सिंह
(जी० ओ०—743), कार्यकारी इंजीनियर (सिविल)

जुलाई 1970 में अलकनन्दा नदी में आई अभूतपूर्व बाढ़ के कारण ऋषिकेश-जोशीमठ-बदरीनाथ और जोशीमठ-मलारी मार्ग पर कई स्थानों में दरारें पड़ गई थीं और कई जगह भूस्खलन हो गया था। कई पुल, पुलियें और उपसेतु तथा पीपलकोटी और जोशीमठ के मध्य सड़क का काफी बड़ा भाग पानी में बह गया था और कई स्थानों पर गहरे गड्ढे पड़ गए थे। श्री महेन्द्र नारायण सिंह ने, जिन्हें बेलाकूची मार्ग को ठीक करने के पड़ताल का काम सौंपा गया था; अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए, अपनी कमर में रस्सी बांध कर बारिश तथा ऊपर से गिरते हुए शिलाखण्डों के बीच उफन्ती नदी, गड्ढों और नालों को पार करते हुए एक सप्ताह के अन्दर अपना कार्य पूरा किया। बाद में उन्हें सड़क-संचार व्यवस्था ठीक करने का काम सौंपा गया। इस काम में भी उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन, अपने साथियों और मशीनों को भारी जोखिम में डालकर असाधारण साहस और उत्साह का परिचय दिया जो कि कर्त्तव्यनिष्ठा की पराकाष्ठा है। वे स्वयं अपने आदमियों और सामान के साथ सभी जोखिम पूर्ण स्थानों पर गये और सौंपे गये कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किया।

आद्योपान्त, श्री महेन्द्र नारायण सिंह ने उत्कृष्ट वीरता, नेतृत्व एवं उच्च-कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

6. श्री रवीन्द्रनाथ गुप्ता,
सहायक फोरमैन,
कोल्ड रोलिंग मिल्स,
राउरकेला स्टील प्लान्ट।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—22 जुलाई 1970)

22 जुलाई 1970 को राउरकेला स्टील प्लान्ट के कोल्ड रोलिंग मिल्स के भूमिगत तहखाने में जब यांत्रिकी अमला क्षतिग्रस्त पाइप को गैस की सहायता से काट रहा था तब तेल से तर दीवार में अचानक आग लग गई। इस तहखाने में अनेकों विद्युतीय उपस्कर और कीमती मशीनों के अलावा खजूर के तेल के टैंक तथा विस्फोटक गैस से भरी हुई पाइपें थीं। तहखाने तक केवल एक सीढ़ी के द्वारा ही पहुंचा जा सकता था। आग तेजी से फैलने लगी तथा उसने उस समग्र क्षेत्र को घेरे में ले लिया जिसमें लगभग 20 कर्मचारी काम कर रहे थे। भारी धुएं और आग की लपटों के कारण सीढ़ियों से तहखाने तक पहुंचना कठिन हो गया था तथा साथ ही यह भी खतरा बना हुआ था कि कहीं आग तेल से भरे टैंक तक न पहुंच जाय जिससे तत्काल भारी विस्फोट होने का डर था। गैस पाइप भी कम खतरनाक नहीं थे उनका भी विस्फोट हो जाता अगर आग की लपेट वहां तक पहुंच पाती। वहां विस्फोट का अचानक खतरा होने के बावजूद भी कोल्ड रोलिंग मिल्स के सहायक फोरमैन, श्री रवीन्द्र नाथ गुप्ता, भारी जोखिम उठाकर गहरे धुएं से होकर सीढ़ियों से तहखाने के अन्दर आधे रास्ते तक पहुंचने में सफल हुए। उन्होंने गैस पाइप बन्द कर दी और बिजली के सारे बटन बन्द कर दिए और इस प्रकार खजूर के तेल से भरे टैंकों तक आग न पहुंचने दी। फायर ब्रिगेड के आने पर वे उन्हें उस स्थान तक ले गए जहां से आग पर नियंत्रण किया जा सकता था। वे उन्हें तब तक मदद देते रहे जब तक कि आग पूरी तरह न बुझा दी गई। श्री रवीन्द्र नाथ गुप्ता के तत्पर कार्य ने उस जगह काम करने वालों का जीवन बचाया। इसके अतिरिक्त उनकी सामयिक कार्यवाही से कीमती उपस्कर नष्ट होने से बच गए और उत्पादन को भारी हानि से बचाया गया।

इस कार्यवाही में श्री रवीन्द्र नाथ गुप्ता ने उत्कृष्ट वीरता और उच्चकोटि के दृढ़-निश्चय का परिचय दिया।

7. कैप्टन रणशेर सिंह राणावत (आई०सी०—19420)
गार्ड्स

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—13 सितम्बर 1971)

13 सितम्बर 1971 को दोपहर 1—30 बजे यह सूचना मिली कि असम के उत्तर कच्छार जिले के करीमगंज सब डिवीजन में भंगा ग्राम के निकट गत्ते के बने एक बक्स में एक टाइम बम रखा हुआ है। कैप्टन रणशेर सिंह राणावत को एक छोटे बचाव एवं नाशक दल के साथ उस स्थान पर जाने के लिए तैनात किया गया। वहां पहुंचने पर, अपने साथियों को यथास्थान तैनात करके वे अकेले ही आगे बढ़े और बक्स को खोला, उन्होंने उसमें एक अत्यन्त नाजुक तथा जटिल विस्फोटक ट्राजिस्ट्राइज्ड 10 किलोग्राम अमाटोल वाले टाइम बम को देखा। न ही उन्होंने और न ही उनके दल के किसी भी व्यक्ति ने ऐसा जटिल बम पहले कभी देखा था। कैप्टन राणावत ने उसकी बारीकी से जांच की और बाद में उसका विघटन करने लगे। आधे घंटे में वे उस टाइम बम को पूर्णतया सुरक्षित बना पाए। पुनः 14 सितम्बर 1971 को जब सूचना मिली कि कनाई बाजार तथा पठार कण्डी (उत्तर कच्छार असम के करीमगंज सब डिवीजन) रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे लाइन के साथ डिमोलीशन चार्ज लगाए गए हैं तो वे एक छोटे से दल के साथ शीघ्र उस स्थान पर पहुंचे। उन्होंने विशेष प्रकार से पूर्णतया तैयार किये गये पांच चार्जिज रेलवे लाइन के साथ लगे पाए। यद्यपि उन्हें इन विशेष प्रकार के इलैक्ट्रिक डिमोलीशन चार्जिज के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं थी, फिर भी उन्होंने निसंकोच होकर स्वयं उन चीजों को वहां से हटाया और उन्हें सुरक्षित बना दिया। तब वहां से गाड़ियों का आना जाना संम्भव हो सका।

इन कार्यवाहियों में, कैप्टन रणशेर सिंह राणावत ने उत्कृष्ट वीरता, पहल-शक्ति तथा उच्च-कोटि के दृढ़-संकल्प का परिचय दिया।

8. श्री सुरेश द्वारका नाथ गवास्कर,

(जी० ओ०–226) सहायक कार्यकारी इंजीनियर (मैकेनिकल)

श्री सुरेश द्वारका नाथ गवास्कर, सहायक कार्यकारी इंजीनियर, 35 फील्ड वर्कशाप (जी० आर० ई० एफ०) के साथ सेकिन्ड-इन-कमांड के रूप में काम कर रहे थे। 1970–71 के दौरान उन्हें कुछ उपस्करों की मरम्मत की लगातार व्यवस्था बनाए रखने का काम दिया गया था। अनेकों कठिनाइयों तथा जोखिमों के बावजूद उन्होंने क्षतिग्रस्त स्नो ब्लास्ट उपस्कर की मरम्मत करने तथा उसे राष्ट्रीय राजमार्ग पर काम करने की अच्छी स्थिति में बनाए रखने के लिए कार्य किया। उन्होंने ब्रिस्टो होट मिक्स प्लांट को पुनरुद्धार तकनीक के द्वारा तथा मदों को परिशोधित करके चालू हालत में रखा। पुनरुद्धार तकनीक द्वारा 57 स्टार्टर मोटरों का पुनरुद्धार किया गया और उनका ओवरहाल किय गया। पुनरुद्धार तकनीक से मशीनों को स्वतः स्टार्ट होने वाली स्थिति में रखा गया और थ्यूल इन्जेक्शन टेस्टिंग डिवाइस को अपने सीमित संसाधनों के अंतर्गत तैयार रखा गया जिससे वर्कशाप में खराब परे हुए काफी बड़ी संख्या में टी एम वी टिप्पर इन्जनों के एफ० आई०पी० उपस्करों की पूरी मरम्मत की जा सकी। उपर्युक्त व्यवस्था के कारण यह राष्ट्रीय राजमार्ग को पूरे साल खुला रखा जा सका। यह मुख्यतया उनकी उत्कृष्ण सेवा, दृढ़-संकल्प और नेतृत्व का ही परिणाम था कि उपस्करों को कठिन परिस्थितियों में भी सेवा योग्य बनाए रखा जा सका था।

श्री सुरेश द्वारका नाथ गवास्कर ने उत्कृष्ट वीरता, नेतृत्व तथा उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

9. श्री पी० वी० पुरानिक

(जी० ओ०–797) सहायक इंजीनियर (सिविल)

1969 से 1971 के दौरान श्री पी० वी० पुरानिक को नागालैण्ड में विभिन्न सड़कों की पड़ताल करने तथा उनके विस्तृत सर्वेक्षण का काम सौंपा गया था। उन्हें सामान्यतः ऐसे क्षेत्रों से जाना होता था जहां विरोधी तत्व आबाद थे। किसी भी पड़ताल के दौरान सामान्यतः पेश आने वाली, कठिनाइयों के अलावा, इसमें बहुत साहस, कार्यचातुर्य एवं गम्भीर स्थिति से निपटने की क्षमता की आवश्यकता थी। विषम परिस्थितियों में अविचल एवं जीवन को भारी संकट होते हुए भी वे बिना किसी सुरक्षा के उन घने जंगलों में गए जहां विरोधियों का बोलबाला था। इस प्रकार उन्होंने अपने दल में आत्मविश्वास की भावना पैदा की जो उनके व्यक्तिगत उदाहरण तथा उनकी उच्चकोटि की नेतृत्व शक्ति के कारण क्रियात्मक रूप में बदल गया। मोकोकचंग-ट्यूनसंग तथा किफर-थन्सांग सड़कों की पड़ताल का कार्य सर्वाधिक कठिन था। उन्हें जो भी काम सौंपा गया था, उसे उन्होंने सफलतापूर्वक पूरा किया।

आद्योपान्त श्री पी० वी० पुरानिक ने उत्कृष्ट वीरता, दृढ़-संकल्प तथा उच्चकोटि के नेतृत्व का परिचय दिया।

पे० ना० कृष्णमणि, राष्ट्रपति के
संयुक्त सचिव

इस्पात और खान मंत्रालय
(इस्पात विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 7 जुलाई 1972

संकल्प

सं० कंपनी–4(14)/71 संदर्भ––इस्पात और खान मंत्रालय (इस्पात विभाग) का तारीख 16–7–71 का संकल्प संख्या कम्पनी–4(14)/72 जिसके अंतर्गत इस्पात उद्योग के लिए रेल इंजनों के मानकीकरण के लिए एक समिति गठित की गई थी।

समिति के गठन में प्रत्येक के सामने दी गई तारीख से निम्नलिखित परिवर्तन किये गये है :––

1. 29–12–71 से श्री बी० अप्पु राव, निवेशक (उत्पादन), हिन्दुस्तान स्टील लि० रांची, इस समिति के सदस्य नहीं रहे हैं।

2. 22–1–72 से श्री अप्पु राव (जो हिन्दुस्तान स्टील लि० के प्रतिनिधि थे) के स्थान पर भिलाई इस्पात कारखाने के मुख्य परिवहन प्रबन्धक, श्री आर० एम० तोलानी को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया था।

3. 25–4–72 से श्री एम० एम० सूरी, औद्योगिक सलाहकार, इस समिति के सदस्य नहीं रहे हैं।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाए। यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में आम सूचना के लिए प्रकाशित किया जाए।

क० वे० रामनाथन, संयुक्त सचिव

औद्योगिक विकास मन्त्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 21 जुलाई 1972

संकल्प

सं० 11(2)/71–ई०ई०आई०––इस मंत्रालय के दिनांक 24 नवम्बर, 1971 तथा 18 फरवरी, 1972 के समसंख्यक संकल्प के क्रम में केन्द्रीय सरकार श्री आर० के० श्रीवास्तव, प्रधान, संरचना तथा धातु विभाग, भारतीय मानक संस्था, नई दिल्ली को 23 नवम्बर, 1973 तक इस्पात की गढ़ी हुई वस्तु उद्योग की पुनर्गठित नामिका का सदस्य नामित करती है।

उक्त संकल्प में, श्री एस० के० सूद से संबंधित प्रविष्टि सं० 15 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ दी जायेंगी, अर्थात् :––

16. श्री आर० के० श्रीवास्तव,
प्रधान, संरचना तथा धातु विभाग,
भारतीय मानक संस्था, मानक भवन,
नई दिल्ली-1।

पी० बी० सकसेना, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय

(परिवार नियोजन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 जुलाई 1972

संकल्प

सं० 5-19/69-एम०सी०एच०—स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय (परिवार नियोजन विभाग) के दिनांक 26 अक्तूबर, 1970 के संकल्प संख्या 5-19/69-एम०सी०एच० में आंशिक संशोधन करते हुए भारत सरकार ने यह निर्णय किया है कि डा० (श्रीमती) मंगलादेवी तलवाड़ के संसद सदस्य (राज्य सभा) न रहने पर उनके स्थान पर श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत, संसद सदस्य (राज्य सभा), काउंटेस आवं डफरिन निधि की सलाहकार समिति की सदस्य होंगी ।

आदेश

आदेश है कि इस संकल्प की एक एक प्रतिलिपि सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को भेजी जाए । आगे आदेश है सूचना के लिए यह आदेश भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

दीनानाथ चौधरी, निदेशक

कृषि मंत्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 जुलाई 1972

संकल्प

सं० 24-1/72-सा०समन्वय—भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि विभाग में संकल्प संख्या 24-1/72-सा०समन्वय, दिनांक 10 जुलाई, 1972 की मद संख्या (1) निम्न प्रकार से पढ़ा जाए :—

(1) श्री पी० वी० गजेन्द्रगड़कर, अध्यक्ष
भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति,
तथा कुलपति, बम्बई विश्वविद्यालय,
वर्तमान में विधि आयोग के अवैतनिक अध्यक्ष ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों, भारत सरकार के समस्त मंत्रालयों/विभागों, प्रधान मंत्री सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय, योजना आयोग, मंत्रिमंडल सचिवालय, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा-परीक्षक, समस्त राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के कृषि विभागों के सचिव, कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) के समस्त संलग्न तथा अधीनस्थ कार्यालयों, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, संसद पुस्तकालय (5 प्रतियां) को प्रेक्षित की जाये ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प सामान्य जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

का० मु० अहमद, संयुक्त सचिव

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय

(श्रम और रोजगार विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 15 जुलाई 1972

सं० क्यू०-16011/1/72-डब्ल्यू०ई०—केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के नियमों और विनियमों के नियम 8 के अनुसरण में भारत सरकार एतद्द्वारा श्री एम० एल० कपूर, सहायक शिक्षा सलाहकार, शिक्षा विभाग, शिक्षा तथा सामाजिक कल्याण मंत्रालय को इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से डा० एस० एन० सराफ, निदेशक, योजना तथा समन्वय, शिक्षा मंत्रालय के स्थान पर केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के शासक मण्डल के सदस्य के रूप में नामित करती है ।

सं० क्यू०-16011/1/72-डब्ल्यू० ई०—केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के नियमों और विनियमों के नियम 4(III) और (VI) के साथ पढ़े गये नियम 3(ख) के अनुसरण में भारत सरकार एतद्द्वारा श्री एम० एल० कपूर, सहायक शिक्षा सलाहकार, शिक्षा तथा सामाजिक कल्याण मंत्रालय (शिक्षा विभाग) को इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से, डा० एस०एन० सराफ, निदेशक, योजना तथा समन्वय, शिक्षा मंत्रालय, के स्थान पर केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड में सदस्य के रूप में नियुक्त करती है ।

2. तदनुसार, 20 दिसम्बर, 1958-29 अग्रहायण, 1880 के भारत के राजपत्र के भाग 1 खंड 1 में प्रकाशित श्रम और रोजगार मंत्रालय की, समय-समय पर यथा-संशोधित अधिसूचना संख्या ई० एण्ड पी०-4(24)/58, दिनांक 12 दिसम्बर, 1958 में निम्नलिखित परिवर्तन किये जायेंगे :—

वर्तमान प्रविष्टि :—

"2. डा० एस० एन० सराफ,
निदेशक, योजना तथा समन्वय,
शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली ।

के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेगी :—

"2. श्री एम० एल० कपूर,
सहायक शिक्षा सलाहकार,
शिक्षा विभाग, शिक्षा तथा सामाजिक कल्याण मंत्रालय,
नई दिल्ली ।"

हंसराज छाबड़ा,
उप-सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 26th January 1972

No. 93-*Pres.*/72.—The President is pleased to approve the award of the "KIRTI CHAKRA" for acts of conspicuous gallantry to :—

1. Shri HANUMANT SINGH

Village Budakheda,

Police Station Aron,

District Guna,

Madhya Pradesh.

(*Effective date of award*—21*st February* 1969)

On the 21st February, 1969, at about 7.30 P.M. three dacoits headed by Bhura Kadera entered village Budakheda in District Gurna and started firing indiscriminately in the air to strike terror amongst the local villagers They looted all the valuables from the house of Shri Harnath Singh and thereafter, entered the house of Shri Khub Singh Raghuvanshi. On hearing the sound of the fire, Shri Hanumant Singh rushed out of his house with a twelve bore gun and climbed on the roof of a house from where he could get a clear view of the house of Shri Khub Singh in the moonlight. One of the dacoits who was standing on the roof fired at Shri Hanumant Singh. Undeterred, Shri Hanumant Singh challenged the dacoits and returned the fire. Another dacoit also opened fire and thereafter all the members of the gang attempted to escape. Shri Hanumant Singh collected other villagers and chased the dacoits who were firing while on the run. One of the dacoits, Jai Narain, was found lying injured in a nullah the next day by the villagers and was handed over to the Police.

In this action Shri Hanumant Singh displayed conspicuous gallantry and determination of a very high order.

2. Shri DAULA,

District Guna,

Madhya Pradesh.

(*Effective date of award*—11*th February*, 1970)

The gang of dacoit Ganga Ram was active in Police Station Mungaoli area in Madhya Pradesh for a long time. The gang had committed dacoity and murder in village Karera. on the night of the 11th/12 February, 1970, the gang again visited the village. Shri Raja Ram Lodhi, who received information about the gang and who was the likely target of the dacoits, sent a word in the village and to Shri Daula, chowkidar. With a party of six villagers, Shri Daula reached the spot between 3 A.M. and 4 A.M., and disregarding personal safety challenged the dacoits who had surrounded the house of Shri Raja Ram Lodhi and opened fire. As a result of this bold action, the dacoits took to their heels. In the exchange of fire, Shri Daula shot dead a dacoit and recovered a gun from him.

In this action, Shri Daula displayed conspicuous gallantry, initiative and determination of a very high order.

3. Flight Lieutenant KULDEEP KUMAR SHARMA (7584)

Meteorological.

(*Effective date of award*—17*th May* 1970)

On the 17th May 1970, at one of the forward airfields, a major grass fire broke out covering a large area around the Bomb Dump. Flight Lieutenant Kuldeep Kumar Sharma was the first officer to arrive at the spot and to lead the fire crew trying to control it. With the help of a small fire crew party, he bravely fought the fire till more men arrived. Due to wind, the grass inside the Bomb Dump, empty crates and the tarpalines covering the High Explosive Bombs caught fire. Undeterred he kept on fighting the fire even when some stores began exploding.

Throughout this operation Flight Lieutenant Kuldeep Kumar Sharma displayed conspicuous gallantry and determination of a very high order.

4. 34629 Flight Sergeant MOJ PARKASH PURI ACD/GD

(*Effective date of award*—17*th May*, 1970)

On the 17th May, 1970, a major grass fire broke out at a forward Air Force base covering a very large area around the Mechanical Transport Section and the Bomb Dump. Due to wind the fire spread into the Bomb Dump and the tarpalines covering high explosive bombs and the grass around the buildings caught fire. Flight Sergeant Moj Parkash Puri, as Senior Non-Commissioned Officer-in-Charge of the fire Section, gave an excellent account of himself and guided the crew throughout the fire fighting operations in a cool and systematic manner. Regardless of his personal safety, he remained on the spot even when some of the stores began to explode.

In this action, Flight Sergeant Moj Parkash Puri displayed conspicuous gallantry, determination and devotion to duty of a very high order.

5. Shri MAHENDRA NARAIN SINGH (CO-743) Executive Engineer (Civil)

As a result of unprecedented floods in river Alakananda during July, 1970, the roads Rishikesh-Joshimath-Badrinath and Joshimath-Malari were full of many breaches and numerous landslides. A number of bridges, culverts and causeways and a long stretch of road between Pipalkoti and Joshimath had been washed away and deep gorges had been created at many places. Shri Mahendra Narain Singh, who was detailed for reconnaissance of Belkuchi realingment of the road, in complete disregard of his personal safety, crossed the flooded river, several deep gorges and gaping ravines with the rope tied around his waist in the pouring rains and falling boulders and completed the task within a week. Later on having been entrusted with the work of restoring the road communication, he once again faced with considerable difficulties and grave risk to his own life men and machines showed uncommon zeal and enthusiam much beyond the call of duty. He personally led his men and material at all dangerous points, and successfully completed the assigned task.

Throughout, Shri Mahendra Narain Singh displayed conspicuous gallantry, leadership and devotion to duty of a very high order.

6. Shri RABINDRA NATH GUPTA,

Assistant Forman,

Cold Rolling Mills,

Rourkela Steel Plant.

(*Effective date of award*—22*nd July*, 1970)

On the 22nd July, 1970, while the mechanical staff was gas cutting a damaged pipe in the underground Cellar of Cold Rolling Mills at the Rourkela Steel Plant, the oil-soaked walls of the cellar suddenly caught fire. Besides several electrical equipments and other costly machinery, the underground Cellar contained highly inflammable palm oil tanks and explosive gas charged lines. The Cellar could be approached by a single entrance only through the Staircase. The fire spread rapidly and engulfed the whole area where about 20 workmen were working. Due to thick smoke and flames, the approach to the Cellar through the stair-case became difficult and there was also a danger of fire reaching the palm oil tanks which would have resulted in immediate explosion. Equally dangerous were the gas pipes which might have exploded any moment had the fire reached them. Although there was danger of immediate explosion, Shri Rabindra Nath Gupta, Assistant Foreman, Cold Rolling Mills, at great personal risk entered through a thick film of smoke and succeeded in reaching half way into the Cellar through the stair-case. He managed to close the gas pipe and put off the electrical switches and prevented fire reaching the palm oil tanks. On the arrival of Fire Brigade, he led them to place from where the fire could be fought and helped them till the fire was completely extinguished. The prompt action of Shri Rabindra Nath Gupta saved the lives of persons working in the area. Besides, his timely action saved costly equipment and prevented heavy loss of production.

In this action, Shri Rabindra Nath Gupta displayed conspicuous gallantry and determination of a very high order.

7. Captain RANSHER SINGH RANAWAT (IC-19420) Guards.

(*Effective date of award*—13*th September*, 1971)

On the 13th September, 1971, at 1320 hours, information was received that a card-board box containing a time bomb had been spotted by villagers near Bhanga village in Karimganj Sub Division of North Cachhar District of Assam. Captain Ransher Singh Ranawat was detailed with a small escort and a demolition party to go to the spot. On reaching there, he deployed his men and went forward alone; he opened the box and saw a highly, sophisticated explosive transistorised time bomb with 10 Kg. of AMATOL. Neither he nor any person in the demolition party had ever seen or handled such a sophisticated bomb. Captain Ranawat examined it minutely and started dismantling it. It took him half an hour before he could make the time bomb fully safe. Again, on the 14th September, 1971, when information was received that demolition charges had been attached with the railway track between Kanai Bazar and Pathar Kandi (Karimganj Sub Division of North Cachhar, Assam) railway station, he, with a small detachment, rushed to the spot. He found five fully prepared special demolition charges attached with the railway track. Although he had no knowledge about handling these specially prepared electric demolition charges, he without any hesitation, personally removed the charges and made them safe, and thus made running of through trains possible.

In these actions, Captain Ransher Singh Ranawat displayed conspicuous gallantry, initiative and determination of a very high order.

8. Shri SURESH DWARKA NATH GAVASKAR

(GO-226) Assistant Executive Engineer (Mechanical)

Shri Suresh Dwarka Nath Gavaskar, Assistant Executive Engineer (Mech.) was serving with 35 Field Workshop (GREF) as Second-in-Command. During 1970-71 he was responsible for organising *in situ* repairs to certain equipment by working round the clock. Notwithstanding many difficulties and risks involved, he repaired Snow Blast equipment which was damaged, and kept it operating on National Highway in a very high serviceablity state. He also kept the BRISTOW Hot Mix Plant in working condition by reclamation techniques and modifying the items; overhauled and reclaimed 57 starter motors by reclamation which kept the machines self-starting and rigged up the fuel injection testing device within his limited resources which enabled the Workshop to overhaul FIP equipment of a large number of TMBs/Tippers engines lying defective. As a result of the above measures, the National Highway was kept open throughout the year. It was largely due to his determination, leadership and his gallant services that the equipment were kept serviceable under the most trying condition.

Throughout, Shri Suresh Dwarka Nath Gavaskar displayed conspicuous gallantry, leadership and devotion to duty of a very high order.

9. Shri P. V. PURANIK

(GO-797) Assistant Engineer (Civil)

Shri P. V. Puranik was deputed to carry out the recee and detailed survey of different roads in Nagaland during 1969 to 1971. He had to move in areas generally inhabited by hostile elements. Apart from the normal strain of any recee, the job required great courage, ample tact and capacity to meet any grave situation. Undeterred by the heavy odds, and in spite of great danger to his person, he without any protection went out into the thick jungles infested by hostiles. He thus inspired confidence in his team which was galvanised into action by his personal example and high degree of leadership. The most difficult recee that he had to do was of roads Mokokchung—Tuensang and Kiphre—Thensang. He successfully completed all the tasks assigned to him.

Throughout, Shri P. V. Puranik displayed conspicuous gallantry, determination and leadership of a very high order.

P. N. KRISHNA MANI, Jt. Secy.
to the President

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Steel)

New Delhi, the 7th July 1972

RESOLUTION

No. COY-4(14)/71.—Reference Ministry of Steel & Mines (Department of Steel) Resolution No. COY-4(14)/72, dated 16-7-71 setting up a Committee for Standardisation of locomotives for steel industry.

The following changes have been effected in the composition of the Committee, with effect from the dates mentioned against each :—

1. Shri B. Appu Rao, Director (Production), Hindustan Steel Limited Ranchi ceased to be a member w.e.f. 29/12/71.
2. Shri R. M. Tolani, Chief Traffic Manager, Bhilai Steel Plant was appointed as a member w.e.f. 22/1/72 *vice* Shri Appu Rao (representing Hindustan Steel Limited).
3. Shri M. M. Suri, Industrial Consultant, ceased to be a member w.e.f. 25/4/72.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned. Ordered also that the Resolution be published in the Gazette for general information.

K. V. RAMANATHAN Jt. Secy.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 21st July 1972

RESOLUTION

No. 11(2)/71/EEI.—In continuation of this Ministry's Resolution of even number dated the 24th November, 1971 and 18th February, 1972 the Central Government hereby nominates till the 23rd November 1973, Shri R. K. Srivastava, Head of the Structural & Metals Department in the Indian Standards Institution New Delhi, to be Member of the Reconstituted Panel for Steel Foreings Industry.

In the said Resolution, after entry No. XV relating to Shri S. K. Sood, the following entries shall be added namely :—

XVI. Shri R. K. Srivastava,
Head of Structural & Metals Deptt.
Indian Standards Institution,
Manak Bhavan,
New Delhi-1.

P. B. SAXENA, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING

(Department of Family Planning)

New Delhi, the 20th July 1972

RESOLUTION

No. 5-19/69-MCH.—In partial modification of the Ministry of Health and Family Planning (Department of Family Planning) Resolution No. 5-19/69-MCH dated the 26th October, 1970, the Government of India have decided that Shrimati Laxmi Kumari Chundawat, Member of the Parliament (Rajya Sabha), shall be member of the Advisory Committee of the Countess of Dufferins Fund *vice* Dr. (Smt.) Mangaladevi Talwar who ceases to be Member of the Parliament (Rajya Sabha).

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all State govts./Union territories.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for information.

D. N. CHAUDHRI, Director

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture)

New Delhi, the 12th July, 1972

RESOLUTION

No. 24-1/72*Genl.Coord.*—Item No. (1) appearing in Government of India, Ministry of Agriculture, Department of Agriculture's Resolution No. 24-1/72-Genl. Coord. dated the 10th July, 1972 may be read as under :—

(1) Shri P. B. Gajendragadkar, retired Chief Justice of India and Vice Chancellor, University of Bombay, recently Hon. Chairman, Law Commission.	Chairman

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman and other members of the High Level Committee all Ministries/Departments of the Government of India, the Prime Minister's Secretariat, the President Secretariat, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, Secretaries to the Government of all States and Union Territories, Agriculture Department, all Attached and Subordinate Offices of the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture), the Lok Sabha Secretariat, the Rajya Sabha Secretariat, Parliament Library (5 Copies).

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

Q. M. AHMED, Jt. Secy.

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 15th July 1972

No. Q-16011/1/72-WE.—In pursuance of Rule 3(b) read with Rules 4(iii) and (vi) of the Rules and Regulations of the Central Board for Workers' Education, the Government of India hereby appoints Shri M. L. Kapur, Assistant Educational Adviser, Ministry of Education and Social Welfare (Department of Education), as a member on the Central Board for Workers Education) in place of Dr. S. N. Saraf, Director, Planning and Coordination, Ministry of Education, with effect from the date of issue of this notification.

2. The following changes shall be made accordingly in the Ministry of Labour and Employment Notification No. E&P-4(24)/58, dated the 12th December, 1958, published in the Gazette of India Part I Section 1, dated December 20, 1958/Agrahayana 29, 1880, as amended from time to time :—

For the existing entry :—

"2. Dr. S. N. Saraf,
Director, Planning and Coordination,
Ministry of Education,
New Delhi.

the following entry shall be *substituted* :—

"2 Shri M. L. Kapur,
Assistant Educational Adviser,
Department of Education,
Ministry of Education & Social Welfare,
New Delhi."

HANS RAJ CHHABRA, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972